

FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

APP-A
Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

बनाम श्री कृष्ण कुमार शर्मा एडवोकेट
वैदरी लावा कारिद्वारा रजिस्ट्रार अजमेर
किस्म मुकदमा ग्रा-पत्र वी.व. (0.41R/1990) नम्बर 505/2019 सन् 20 19 (22)

2019/00505

(अप्रति)

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
पेशी	श्री	श्री
31.12.20	<p>यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र श्री कृष्ण कुमार शर्मा एडवोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 10.10.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पेश किया गया। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया गया, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी के प्रस्तुत कथनो के आधार पर प्रार्थना पत्र बाजदायरी में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाता है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>तत्पश्चात प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है किन्तु अभिभाषक अपीलांट अप्रार्थीगण/रेस्पोंडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड से आवश्यक रूप से पेश करेंगे।</p> <p>अतः बाजदायरी प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p>	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर